राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक–प. 5(31) साप्र/3/82 जयपुर, दिनांक 09/04/13

–:आज्ञा:–

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 13.12.12 के अधिक्रमण में शासन सचिवालय में कार्यरत निजी सचिव/अति. निजी सचिव एवं निजी सहायक/स्टेनो को उनके कार्य प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए निवासीय/मोबाईल फोन बिलों के पुनर्भरण की सुविधा निम्नानुसार वर्णित तालिका एवं शर्तो के साथ उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	पदनाम	दरें प्रतिमाह
1.	निजी सचिव	₹ 500/-
2.	अतिरिक्त निजी सचिव	₹ 400/-
3.	निजी सहायक/स्टेनो	₹ 300/-

शर्ते :–

1. निवासीय टेलीफोन अथवा पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन स्वयं सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नाम से होगा तथा मोबाइल हैण्डसेट एवं निवासीय टेलीफोन का यंत्र भी स्वयं का निजी होगा।
2. निवासीय टेलीफोन अथवा मोबाईल फोन पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा से अधिक व्यय होने पर ऐसे अधिक व्यय का पूर्व महिनों के कम व्यय से बची राशि से समायोजन किया जा सकेगा।
3. यह आदेश मा. राज्यपाल, मुख्यमंत्री/मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण तथा मुख्य सचिव, के यहां पदस्थापित निजी सचिवगणों पर लागू नहीं होगा। इनके लिए पूर्व में समसंख्यक आदेश दिनांक 05.08.11 के तहत टेलीफोन+मोबाईल सुविधा ही देय है जो यथावत रहेगी।
4. बिलों का भुगतान सम्बन्धित टेलीफोन धारक द्वारा निजी तौर पर किया जाकर पुनर्भरण के लिये मूल बिल एवं बिल जमा की रसीद विधिवत् रूप से सत्यापित कर मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय को अपनी बैंक खाता संख्या अंकित करते हुये दो प्रतियों में सीधे ही प्रेषित की जावेगी तथा बिल एवं जमा की रसीद की फोटो–प्रति सहित एक प्रति इस विभाग को भी पृष्ठांकित की जावेगी।

यह आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. सं0 131300123 दिनांक 05.04.13 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-

(चन्द्र मोहन मीणा)
अति० मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अति. मुख्य सचिव, मा. राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
3. उप सचिव (निजी सचिव), मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव/अति. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
6. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों के अनुसरण में नियमानुसार बिलों का पुर्नभरण/भुगतान कराये जाने से पूर्व कृपया संदर्भित आदेशों की शर्तो की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करा ली जाये।
7. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
उप शासन सचिव

D:\Chandra Bhan Dhakad\G K Mishra13\Circular2013.doc